राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— एफ.2(ग)(ए.सी.पी.)/अलेसे–I/3702-15 दिनांकः— 11.07.2013

कार्यालय आदेश संख्या ....15.../2013–14

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.14 (1) वित्त/नियम/2013 पार्ट–II दिनांक 06.04.2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 को दिनांक 01.09.2006 के स्थान पर दिनांक 01.01.2006 सें प्रभावशील किये जाने के फलस्वरूप उक्त नियमों के नियम 19 के तहत इस विभाग के पत्र क्रमांक 26870-894 दिनांक 30.03.09 द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित सहायक लेखाधिकारियों को 27 वर्ष की निरन्तरण एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 के अनुसार पूर्व में उल्लेखित दिनांक 01.09.2006 के स्थान पर संशोधित रूप मे कॉलम संख्या 6 में अंकित तिथि से तृतीय एसीपी (पी.बी.–3, 15600–39100 मे ग्रेड–पे (16) 6000) स्वीकृत की जाती है:–

क्र.स.	नाम स0ले0अ0 (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	पूर्व में एसीपी स्वीकृति दिनांक	एसीपी संशोधित स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	लाल चन्द सुनार	04.10.1955	26.10.1977	01.09.2006	01.01.2006	
2.	किशन लाल शर्मा	10.07.1955	26.10.1977	01.09.2006	01.01.2006	
3.	भगवती लाल मेहता	01.12.1950	26.10.1977	01.09.2006	01.01.2006	
4.	बंकट लाल शर्मा	18.12.1952	26.10.1977	01.09.2006	01.01.2006	
5.	सूर्य नारायण शर्मा	07.02.1947	26.10.1977	01.09.2006	01.01.2006	

उक्त तत्कालीन सहायक लेखाधिकारियों की संशोधित एसीपी में वेतन निर्धारण किये जाने से पूर्व संबंधित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेवें कि संबंधित अधिकारी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 में वेतन विकल्प दिनांक 01.01.2006 से दिया गया है। उक्त संशोधित एसीपी का नकद लाभ दिनांक 01.07.2013 से देय होगा।

अन्य शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेंगी।

निदेशक

क्रमांकः— एफ.2(ग)(ए.सी.पी.)/अलेसे–I/3702-15 दिनांकः—11.07.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..
2. श्री..सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय..
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)